विनोद कुमार वगैरह बनाम दुर्गाप्रसाद वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

T.I., मु. नं. - 848/2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	22.5.18 पत्रावली पेश हुई। वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी बंगा लाल शर्मा उपस्थित। आपसी समझौता के राजीनामा पेश हुआ है। राजीनामा निर्णय का आधार रहेगा। वादपत्र प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम टाबानाथी के ख.नं. 189 रकबा 2.13 हे.आर., ख.नं. 190 रकबा 0.90 है., ख.नं. 112 रकबा 0.70 है सम्पूर्ण ख.नं. 191 में से 0.02 है. राजेश की तरफ की वादीगण के हक हिस्सा एवं बेदखल में रहेगी तथा ख.नं. 191 में से 0.55 है. उत्तरी तरफ की भूमि प्रतिवादी के 6/1 ता 6/5 के हक हिस्सा एवं बेदखल में रहेगी।	विनोद कुमार शर्मा बजरंगलाल शर्मा
	चूंकि ख.नं. 224 अकेले प्रतिवादीगण 6/1 ता 6/5 के नाम पर ख.नं. 171 सम्पूर्ण प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज हो चुकी है अतः टाबानाथी के ख.नं. 189, 190, 112 सम्पूर्ण में से सम्पूर्ण प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया जाता है एवं ख.नं. 191 रकबा 0.55 उत्तरी तरफ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार ख.नं. 191 में से 0.02 है. राजेश की तरफ की भूमि में वादीगण का नाम दर्ज होगा। शेष प्रतिवादीगण का इसमें हिस्सा नहीं रहेगा।	
	अनुसार डिक्री पारित जारी होकर पालनार्थ तहसील भादरा पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के बक्ते जाकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 22/5/18 को RCA. NO. 2018. बेमियादी डिक्री में दर्ज किया गया।	

सहायक अभिलेखागार (फास्ट ट्रेक)